बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

दाखिल–खारिज: सामान्य प्रक्रिया

होल्डिंग अथवा किसी अंश पर किसी विधि/लिखत द्वारा हित अर्जन,
जमाबंदी पंजी चालू–खतियान और खेसरा पंजी में वांछित परिवर्तन,
अधिकार अंतरण या नामांतरण जमाबंदी पंजी अद्यतन अपडेट,
अधिनियम, 2011 अंतर्गत दाखिल–खारिज से अभिप्रेत।

विक्रय, दान, विनिमय, बँटवारा, निबंधित, पंजीकृत दस्तावेज,
भू–अर्जन, भूदान, वासगीत, भू–हदबंदी, उत्तराधिकार समेत,
आपसी सहमति से बँटवारा सक्षम न्यायालय का आदेश,
स्वत्ववाद लंबित रहने पर दाखिल–खारिज है निषेध।

ऑनलाईन दाखिल–खारिज संग शिविर में दाखिल–खारिज भी है मान्य,
विहित प्रपत्र में आवेदन–याचिका संलग्न करें दस्तावेजी प्रमाण,
प्रारंभिक जाँच–पड़ताल के बाद अभिलेख संधारण है अनिवार्य,
कर्मचारी और अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन करना है प्राप्त।

आम–खास सूचना निर्गत कर चौदह दिनों का विधिक इंतजार,
आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दाखिल–खारिज करें स्वीकार,
उभय–पक्ष को अवसर देकर आपत्ति–आवेदन की करें सुनवाई,
मुखर आदेश पारित करना है सक्षम है अंचल अधिकारी।

दाखिल–खारिज स्वीकृति के बाद शुद्धि–पत्र होगा तैयार,
निर्धारित है विहित प्रपत्र चार प्रतियों में करना निर्गत,
नई जमाबंदी का निर्माण जमाबंदी अंतरिती के नाम,
शुद्धि–पत्र की प्रविष्टि प्रमाण कायम करें सेस–लगान।

आदेश से व्यथित होने पर अपील का है खुला द्वार,
तीस दिनों का समय निर्धारित सक्षम हैं डी0सी0एल0आर0,
समाहर्ता/अपर समाहर्ता में पुनरीक्षण का अधिकार निहित,
पुनरीक्षण याचिका दायर हेतु तीस दिनों का समय विहित।

अधिनियम की धारा–9 में वर्णित जमाबंदी रद्दीकरण के प्रावधान,
आवेदन या स्व–प्रेरणा से अपर समाहर्ता को लेना संज्ञान,
आदेश से व्यथित होने पर समाहर्ता के समक्ष अपीलवाद,
पुनरीक्षण वाद दाखिल करने हेतु आयुक्त हैं सक्षम प्राधिकार।

रैयतों की सुविधा–सहयोग हेतु कृत–संकल्पित राजस्व विभाग,
शिकायतों के समाधान हेतु 'परिमार्जन' पोर्टल नवाचार,
नाम, लगान, चौहद्दी, खेसरा जमाबंदी पंजी में करें सुधार,
निर्धारित समय–सीमा के अंदर त्रुटियों का निश्चित निस्तार।

साभार:
डॉ0 श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0,
विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।